न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 276 / 23 निर्णय दिनांकः– 24-03-2025
(जीसीएमएस संख्या 2023 / 344)

1. कुनाराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. किशनी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. कान्ता पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. कोजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
5. गुलाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
6. लिछमा पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. हरिराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

3. झूमा पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. दामी पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. पूरा पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. मोली पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
7. शांति पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
8. सोना पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

गौण रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22–03–2023
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 22–03–2023 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ता 8 की खातेदारी भूमि चक 2 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 221/26, 221/28 व 221/34, 221/35, 221/36, 221/51 में स्थित है। मुरब्बा नम्बर 221/34 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा व मुरब्बा नम्बर 221/35 के किला नम्बर 6, 7, 13 व 25 की 4 बीघा कुल 5 बीघा भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिस पर अपीलांट्स की भी वरियता बनती है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सह खातेदारों की वरियता तैयार करते हुए सभी के धारण की भूमि को स्पष्ट किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होते हुए भी वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट्स की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 02 एमएसएम के मुरब्बा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 221/44 में स्थित होने के कारण उसी मुरब्बे के चिपते मुरब्बा नम्बर 221/36 के किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 25 की 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि स्माल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें के चिपते ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30–10–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। स्मालपेच आवंटन के नियमों के तहत भूमि आवंटन में यह आवश्यक है कि उसी मुरब्बे के चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। अपीलाधीन आदेश चिपते काश्तकारों की सहमति के आधार पर जारी किया गया है परन्तु ये काश्तकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये हो ऐसा प्रकट नहीं होता है। सहमति पत्र पर भूराराम के अंगूठा निशान भी अंकित होना दर्शाया गया है जबकि अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि भूराराम की मृत्यु इस सहमति पत्र के निष्पादन से दस वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस तथ्य को अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा भी नकारा नहीं गया है। अपीलांट द्वारा भी सहमति पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर से इंकारी की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सहमति पत्र की विश्वसनियता असंदिग्ध नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन में चालान जारी किये जाने का आदेश दिनांक 22–03–2023 का है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटित भूमि का चालान दिनांक 21–03–2023 को ही जारी करवा लिया है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2023 उपखण्ड अधिकारी, पूगल निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24-03-2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर